

## मास्टर परिपत्र - 2009

### विषय सूची

पैरा सं	विवरण	पृष्ठ सं
1	जाली नोटों को जब्त करने का अधिकार	3
2	जाली नोट पर मुहर लगाना तथा जब्त करना	3
3	प्रस्तुत कर्ता को रसीद जारी करना	3
4	बैंक शाखा / कोषागार द्वारा प्राप्त प्रस्तुत नकदी में पकड़े गये जाली नोटों पर प्रसंस्करण - प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करना	4
5	जाली नोटों का पता लगाना - स्टाफ को प्रशिक्षण	4
6	काउंटरो पर जारी , एटीएम में डालने तथा आरबीआई के निर्गम कार्यालयों को प्रेषण करने के पूर्व बैंकनोटों का परीक्षण	5
7	बैंक के प्रधान कार्यालय में जाली नोट सतर्कता कक्ष की स्थापना	5
8	अल्ट्रा-वायलेट लैम्प तथा अन्य मूलभूत आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था	6
9	आंकड़े प्रस्तुत करना - i) बैंक शाखाएं ii) बैंक का जाली नोट सतर्कता कक्ष iii) सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	6
10	पुलिस प्राधिकरण से प्राप्त जाली नोटों का परिरक्षण	7
अनुबंध	अनुबंध -I	8
	अनुबंध -II	9
	अनुबंध -III	10
	अनुबंध - IV	11
	अनुबंध - V	12
	अनुबंध - VI	13
	अनुबंध - VII	23

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुद्रा प्रबंध विभाग

मास्टर परिपत्र - 2009

जाली नोट पकड़ना और जब्त करना

<p><b>पैरा 1</b></p>	<p><b>जाली नोटों को जब्त करने का अधिकार</b> जाली नोट निम्नलिखितों द्वारा जब्त किये जा सकते हैं; (i) सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त बैंक (ii) निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों की सभी शाखाएं (iii) सहकारी बैंकों तथा ग्रामीण विकास बैंकों की सभी शाखाएं (iv) सभी कोषागारों और उप कोषागार (v) भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी निर्गम कार्यालय</p>
<p><b>पैरा 2</b></p>	<p><b>जाली नोट पर मुहर लगाना</b> विभिन्न सुरक्षा विशेषताओं / मानकों के परीक्षण पर जाली नोट के रूप में निर्धारित प्रत्येक बैंकनोट पर “ जाली नोट ” की मुहर लगाकर जब्त कर लिया जाय । इसके लिए 5 सेमी x 5 सेमी. की एकसमान आकार की निम्नवत लेखनवाली मुहर का प्रयोग किया जाये । <b>जाली नोट जब्त किया / COUNTERFEIT BANKNOTE</b> <b>IMPOUNDED</b> <b>बैंक /कोषागार /उप कोषागार / BANK /TREASURY/ SUB-</b> <b>TREASURY</b> <b>शाखा /BRANCH</b> <b>हस्ताक्षर / SIGNATURE</b> <b>दिनांक /DATE</b> प्रमाणित करते हुए इस प्रकार के प्रत्येक नोट की प्रविष्टि एक अलग रजिस्टर में की जाये</p>
<p><b>पैरा 3</b></p>	<p><b>प्रस्तुतकर्ता को रसीद जारी करना</b> जब भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालय अथवा बैंक शाखा अथवा कोषागार में प्रस्तुत बैंक नोट को जाली पाया जाता है तो अनुबंध-I में दिये गये फार्मेट में प्रस्तुतकर्ता को, उपर्युक्त पैराग्राफ 2 के अनुसार नोट पर मुहर लगाने के बाद नोट प्रस्तुतकर्ता को रसीद जारी की जाये। रसीद दो प्रतियों में क्रमिक नंबर वाली होनी चाहिए जिसके ऊपर प्रस्तुतकर्ता तथा कोषपाल के हस्ताक्षर करवाये जायें । परिणामस्वरूप इससे संबंधित सूचना को आम जनता के जानकारी के लिये कार्यालयों /शाखाओं में प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाये । यदि प्रस्तुतकर्ता रसीद पर हस्ताक्षर न करना चाहे तो भी रसीद देना जरूरी है ।</p>
<p><b>पैरा 4</b></p>	<p><b>बैंक शाखा/कोषागार द्वारा प्राप्त नकदी में पाए गए जाली नोटों पर कार्रवाई करना - ( प्राथमिकी )एफआईआर दर्ज करना</b> बैंक शाखा / कोषागार /काउंटर पर बैंक द्वारा प्राप्त की गई नकदी में पता लगाये गये जाली नोट को उपरोक्त पैरा. 2 में बतलाये गये अनुसार प्रस्तुतकर्ता के समक्ष</p>

	<p>जब्त की जाये । एफआईआर दर्ज करते हुए इस नोट को जाँच हेतु स्थानीय पुलिस प्राधिकरण को भेजा जाये (अनुबंध -II) । प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की एक प्रति बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालय के जाली/नकली बैंकनोट सतर्कता कक्ष को (बैंकों के मामले में) और कोषागार के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित निर्गम कार्यालय को भेज दी जाये । इस प्रकार के मामलों में प्रस्तुतकर्ता के ब्योरे जैसे कि उसका नाम, पता, तथा उसका कथन कि उसे यह नोट कहाँ से मिला है /ये कहाँ से नोट मिले हैं , आदि भी पुलिस को दे दिये जायें ।</p> <p>नगों की संख्या और प्रस्तुतकर्ता की नेकनीयता का विचार किये बिना पता लगाये गये जाली नोट के प्रत्येक मामले के संबंध में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करवाना अपेक्षित है , और पुलिस को प्रेषित नोट/टों के संबंध में प्राप्ति सूचना प्राप्त की जाये । पुलिस को नकली बैंक नोट बीमाकृत डाक द्वारा भेजे जाने पर उनकी प्राप्ति सूचना अनिवार्य रूप से ले ली जाये और उन्हें रिकार्ड में रखा जाए । पुलिस प्राधिकरण से प्राप्ति सूचना प्राप्त करने के लिए उचित अनुवर्ति कार्रवाई अपेक्षित है । एफआईआर दर्ज करवाने में पुलिस के आनाकानी करने में कार्यालयों /शाखाओं को किसी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में संबंधित राज्य के नोडल ऑफिसर से मिलकर मामले को निपटाया जाए।</p> <p>जाली बैंक नोटों की विवेचना से जुड़े मामलों में समन्वय हेतु केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मनोनीत नोडल ऑफिसर्स की सूची, अनुबंध - IV के रूप में संलग्न है।</p> <p><b>किसी भी हालत में जाली नोट , प्रस्तुतकर्ता को न तो लौटायी जाय और उसे बैंक -शाखाओं / कोषागारों द्वारा नष्ट न किया जाये ।</b></p> <p>विदेशी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी करेंसी भी भारतीय दंड संहिता में दी गई परिभाषा के अंतर्गत जाली करेंसी में आती है। बैंक-शाखाओं /कोषागारों में पकड़े गए जाली भारतीय बैंक नोटों के आंकड़े , नीचे दिये गये पैरा- 9 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक , निर्गम कार्यालय को प्रेषित की जानेवाली मासिक विवरणियों में शामिल किये जायें ।</p> <p>पुलिस विभाग/सरकारी एजेंसियों से अभिमत /राय देने हेतु प्राप्त संदिग्ध विदेशी करेंसी नोटों के मामलों में , प्रस्तुतकर्ता को यह सूचित किया जाये कि वे उचित विचार -विमर्श के बाद उक्त नोटों को नई दिल्ली स्थित सीबीआई की इंटरपोल विंग के पास भेज दें ।</p>
<p><b>पैरा 5</b></p>	<p><b>जाली नोटों का पता लगाना - स्टाफ प्रशिक्षण</b></p> <p>यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बैंक-शाखाओं , मुद्रा तिजोरियों /कोषागारों में नगदी संचालन करनेवाला स्टाफ , बैंकनोटों के सुरक्षा विशेषताओं से पूरी तरह सुपरिचित हैं ।</p> <p>बैंक -शाखा के कर्मचारियों को जाली नोट पहचानने की विस्तृत जानकारी देने के उद्देश्य से अनुबंध -IV में दर्शाये गये बैंक नोटों के सुरक्षा लक्षण तथा डिजाइन सभी बैंकों / कोषागारों को इस निर्देश के साथ भेज दिये गये हैं कि वे इन्हें आम जनता के जानकारी के लिए प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करें ।</p> <p>शाखाओं के स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए 2000 और 2005-06 श्रृंखला के बैंकनोटों के पोस्टरों की आपूर्ति की गयी है ।</p> <p>जाली नोटों के प्रवेश के स्तर पर ही , उनका पता लगाने में, स्टाफ सदस्यों को</p>

	<p>सक्षम बनाने हेतु नियंत्रक कार्यालयों /प्रशिक्षण केंद्रों को बैंक नोटों के सुरक्षा लक्षणों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करना होगा। यदि आवश्यक हो तो , वे निकटतम आरबीआई के निर्गम कार्यालय से संबद्ध अधिकारियों की सहायता ले सकते हैं ।</p>
<p><b>पैरा 6</b></p>	<p><b>काउंटरो को जारी करने , एटीएम मशीनों में भरने और आरबीआई निर्गम कार्यालयों को विप्रेषण करने के पूर्व बैंकनोटों की जाँच करना</b></p> <p>जाली नोटों का पकडा जाना सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि शाखाओं में प्राप्त नोटों की गंभीरता से जाँच की जाए। नोट सॉर्टिंग मशीनों से लैस मुद्रा तिजोरिवाली शाखाएं / अन्य बैंक शाखाएं से यह अपेक्षित है कि वे , प्राप्त किये गये सभी बैंकनोटों का विशेषतः 100 रुपये और अधिक मूल्यवर्ग के बैंकनोटों का अनिवार्य रूप से प्रसंस्करण करें। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जनता को जारी किये जानेवाले नोटों या अन्य बैंकों की शाखाओं/भारतीय रिजर्व बैंक कार्यालयों को भेजे जाने वाले विप्रेषणों में जाली नोट कदापि न मिलने पायें ।</p> <p>एटीएम मशीनों के माध्यम से प्राप्त जाली नोटों से संबंधित शिकायतों का निपटान करने और जाली नोटों के संचलन पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह अत्यावश्यक है कि पर्याप्त सुरक्षा उपायों/ नियंत्रणों को लागू किया जाये । भारत सरकार और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की दृष्टि से एटीएम मशीनों के माध्यम से जाली नोटों को वितरित किया जाना , इसे संबंधित बैंक द्वारा जाली नोटों के संचलन के लिये किया गया एक प्रयास माना जायेगा ।</p> <p>चेस्ट विप्रेषणों में जाली नोटों का पाया जाना , इसे भी संबंधित चेस्ट द्वारा जान - बूझकर जाली नोटों के संचलन के लिये किया गया प्रयास माना जायेगा जिसके परीणामस्वरूप पुलिस प्राधिकरण से विशेष जाँच तथा अन्य कार्रवाई अर्थात् संबंधित चेस्ट के प्रचालनों को स्थगित करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है । भारतीय रिजर्व बैंक, मुद्रा तिजोरियों से प्राप्त प्रेषणों में <b>जाँच के दौरान</b> पकड़े गये जाली नोटों की राशि पर संबंधित तिजोरी से गंदे नोट हटाने की पिछली तारीख से, उच्च दण्डात्मक ब्याज /दण्ड लगाने के विकल्प पर विचार कर सकता है । भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण समूह द्वारा निरीक्षण के दौरान पकड़े गये जाली नोटों पर भी दण्डात्मक ब्याज /दण्ड लगाने के विकल्प पर विचार कर सकता है ।</p>
<p><b>पैरा 7</b></p>	<p><b>बैंक के प्रधान कार्यालय में जाली नोट सतर्कता कक्ष की स्थापना</b></p> <p>प्रत्येक बैंक निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन हेतु अपने प्रधान कार्यालय में जाली (नकली) बैंक नोट सतर्कता कक्ष स्थापित करे: -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. जाली नोटों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों को अपनी सभी शाखाओं में प्रचारित करना;</li> <li>2. इन अनुदेशों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखना;</li> <li>3. अपनी शाखाओं में पकड़े गये जाली नोटों से संबंधित आंकड़े मासिक आधार पर एक जगह समेकित करना और वर्तमान अनुदेशों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो और एफआईयू - आईएनडी को इसकी रिपोर्ट प्रेषित करना ।</li> <li>4. पुलिस प्राधिकरण और निर्दिष्ट नोडल अधिकारी के साथ जाली नोटों के मामलों से संबंधित अनुवर्ति कार्रवाई करना ।</li> <li>5. बैंको के केंद्रीय सतर्कता अधिकारी से समेकित जानकारी का आदान-प्रदान</li> </ol>

	<p>करना तथा उन्हें काउंटरोँ पर स्वीकृत /जारी किये गये जाली नोटों से संबंधित मामलों की रिपोर्ट देना।</p> <p>6. ऐसे मुद्रा तिजोरियों के स्तर पर आवधिक आकस्मिक जाँच करना जहाँ पर दोषपूर्ण/जाली नोट आदि का पता लगाया गया है ।</p> <p>7. सभी मुद्रा तिजोरियों के स्तर पर उचित सक्षमता में नोट सॉर्टिंग मशीनों के प्रचालनों को सुनिश्चित करना और मुद्रा तिजोरीवाली शाखाओं के स्तर पर जाली नोटों के पता लगाने पर सावधानिपूर्वक निगरानी करना और उक्त का उचित रूप से रिकार्ड रखना ।</p> <p>8. एटीएम मशीनों में , उचित रूप से छँटनी तथा निरिक्षित किये गये बैंकनोटों को भर देने की सुनिश्चिति करना और प्रसंस्करण तथा नोटों के मार्गस्थ के दौरान पर्याप्त सुरक्षा उपायोंसहित आकस्मिक जाँच को लागू करना ।</p> <p>जाली नोट सतर्कता कक्ष से यह अपेक्षित है कि वे उपरोक्त पहलुओं को शामिल करते हुए तिमाही के आधार पर , संबंधित तिमाही के समाप्ति पर पंद्रह दिनों के भीतर मुख्य महाप्रबंधक , मुद्रा प्रबंध विभाग , भारतीय रिजर्व बैंक , केंद्रीय कार्यालय , अमर भवन , चौथी मंजिल , सर पी .एम.रोड , फोर्ट , मुंबई - 400 001 और आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जाली नोट सतर्कता कक्ष कार्यरत हैं ,.को वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट प्रेषित करें ।</p> <p>जाली नोट सतर्कता कक्षों के पतों को अद्यतन करने के उद्देश्य से बैंक से यह अपेक्षित है कि वे प्रत्येक वर्ष में 1 जुलाई के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा ( अनुबद्ध III ) में इ- मेल से पते आदि आरबीआई को प्रस्तुत करें ।</p>
<p><b>पैरा 8</b></p>	<p><b>अल्ट्रा-वायलेट लैम्प तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना</b></p> <p>जाली नोटों की पहचान सुगम बनाने के लिए बैंक की सभी शाखाओं / खजानों में अल्ट्रा-वायलेट लैम्प की व्यवस्था की जाए। सभी करेंसी चेस्ट शाखाओं में , उचित क्षमतावाली नोट सत्यापन , प्रसंस्करण और छँटनी करने वाली मशीनों (नोट छँटनी मशीन) की व्यवस्था होनी चाहिये और मशीनों का इष्टतम स्तर तक उपयोग करना चाहिये । योग्य ओर अयोग्य नोटों को प्रभावपूर्ण छँटनी करने के लिए साफ्टवेयर मानदंडों को निर्धारित करना होगा । बैंकों को , पता लगाये गये जाली नोटों सहित नोट छँटनी मशीनों के माध्यम से संसाधित नोटों का दैनिक रिकार्ड रखना होगा । बैंक अन्य शाखाओं में भी नोट सत्यापन और प्रसंस्करण करने वाली गंदे तथा जाली (नकली ) नोट अलग- अलग करने के लिये समुचित क्षमता वाली मशीनों की व्यवस्था करें इसके साथ ही जनता के उपयोग हेतु काउंटर पर नोट गिनने वाली कम से कम एक मशीन (जिसमें दोनों तरफ संख्या प्रदर्शित करने की सुविधा हो) लगायी जाये ।</p>
<p><b>पैरा 9</b></p>	<p><b>बैंक शाखाओं द्वारा आँकड़ों की सूचना</b></p> <p>अनुबंध-IV में (राज्य /संघ शासित प्रदेशों के नाम, जिनमें कि शाखा चल रही है, सम्मिलित करते हुए पूर्व प्रपत्र में संशोधन) दिए गए प्रपत्र के अनुसार बैंक /शाखाओं में माह के दौरान पकड़े गए जाली नोटों का समेकित विवरण मासिक आधार पर निम्नलिखित कार्यालयों को इस प्रकार प्रेषित किये जायें कि वह आगामी</p>

	<p>माह की 7 तारीख तक उन्हें प्राप्त हो जायें ।</p> <p>(i) भारतीय रिज़र्व बैंक का संबंधित निर्गम कार्यालय</p> <p>(ii) सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, ईस्ट ब्लॉक-7, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110 066</p> <p>बैंकों के प्रधान अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वे ,नकदी संचालनों में जहाँ जाली नोटों का इस्तेमाल असली नोटों के रूप में किया गया है ऐसे मामले की सूचना , सात कारोबारी दिनों के भीतर निदेशक , एफआईयू -आईएनडी , वित्तीय आसूचना यूनिट - इंडिया , 6 वी मंजिल , हाटेल सम्राट , चाणक्यपुरी , नई दिल्ली -110021 को सूचित करें ।</p> <p>माह के दौरान यदि कोई जाली नोट का पता नहीं लग गया हो तो ' निरंक ' विवरण भेजा जाये ।</p> <p><b>ii) बैंक के शाखा सतर्कता कक्ष द्वारा आँकड़ों की सूचना</b></p> <p>बैंक ( सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामिण बैंकों के अलावा) के प्रधान कार्यालय के स्तर पर गठित जाली नोट सतर्कता कक्ष को अनुवर्ति महीने के समाप्ति के पूर्व संलग्नक V के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा में , अखिल भारतीय स्तर पर बैंक द्वारा पता लगाये गये जाली नोटों को दर्शाते हुए एक मासिक विवरण मुद्रा प्रबंध विभाग , भारतीय रिज़र्व बैंक , केंद्रीय कार्यालय को निम्नलिखित पते पर :- <a href="mailto:dcmfnvd@rbi.org.in">dcmfnvd@rbi.org.in</a> इ - मेल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा ।</p> <p>हार्ड प्रति भेजने की आवश्यकता नहीं है ।</p> <p>माह के दौरान यदि कोई जाली नोट का पता नहीं लग गया हो तो ' निरंक ' विवरण भेजा जाये ।</p> <p><b>iii) सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामिण बैंकों द्वारा आँकड़ों की सूचना</b></p> <p>संलग्नक IV के अनुसार सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामिण बैंकों की शाखाओं द्वारा पता लगाये गये जाली नोटों के आंकड़ों को मासिक आधार पर आरबीआई के संबंधित निर्गम कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा ।</p> <p>संलग्नक V के अनुसार मासिक आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर बैंक के प्रधान कार्यालय में आंकड़ों को समेकित करना होगा और जब कभी मांगा जाये तब उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना होगा ।</p>
<p><b>पैरा 10</b></p>	<p><b>पुलिस प्राधिकरण से प्राप्त जाली नोटों का परिरक्षण</b></p> <p>पुलिस प्राधिकरण से पुनः प्राप्त सभी जाली नोटों को बैंक की अभिरक्षा में सावधानीपूर्वक परिरक्षित किया जाये और संबंधित शाखा द्वारा उक्त का रिकार्ड रखा जाये। बैंक के जाली नोट सतर्कता कक्ष को भी ऐसे जाली नोटों का शाखावार समेकित रिकार्ड रखना होगा । संबंधित शाखा के प्रभारी अधिकारी द्वारा एक छमाई ( 31 मार्च और 30 सितंबर पर ) के आधार पर शाखाओं के स्तर पर स्थित इन जाली नोटों का सत्यापन करना होगा । पुलिस प्राधिकरण से प्राप्त तारिख से इन जाली नोटों को तीन वर्ष के अवधि के लिए परिरक्षित करना होगा ।</p> <p>इसके पश्चात पूर्ण ब्योरे के साथ इन जाली नोटों को भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित निर्गम कार्यालय को भेजा जाये ।</p> <p>जाली नोट जो न्यायालय में मुकदमेबाजी के अधीन हैं उन्हें न्यायालय निर्णय के बाद संबंधित शाखा के पास तीन वर्ष तक रखा जाएं ।</p>

**अनुबंध-I**

( पैरेग्राफ सं.3)

जाली नोट प्रस्तुतकर्ता को जारी की जानेवाली रसीद

बैंक / तिजोरी / उप -तिजोरी का नाम ----- -----		
बैंक / तिजोरी / उप -तिजोरी ाखा का नाम व पता ----- ----- -----		
पावती की क्रमिक संख्या:		
दिनांक:		
निम्नलिखित विवरण (वाला/वाले) नोट श्री ----- ----- (प्रस्तुतकर्ता का नाम व पता) जाली है / हैं, अतः उसे / उन्हें जब्त किया जाता है और तदनुसार उस / उन पर मुहर लगायी जाती है।		
नोट की क्रमिक संख्या :	मूल्यवर्ग नोट को	मानदंड जिसके आधार पर
नोटों की कुल संख्या :		जाली नोट समझा गया
प्रस्तुतकर्ता का हस्ताक्षर	काउंटर कैशियर के हस्ताक्षर	

**अनुबंध-II**

( पैरेग्राफ सं.4)

बैंक शाखा का नाम व पता

संदर्भ सं.

दिनांक:

वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक

----- पुलिस थाना

-----

महोदय

**जाली नोट /टों का पता लगाना -जाँच का अनुरोध**

हम इसके साथ हमारे कार्यालय में दिनांक ..... को पकड़े गये निम्नलिखित जाली नोट और नोट प्रस्तुतकर्ता का नाम, पता तथा उसका अभिकथन संलग्न कर रहे हैं।

2. चूँकि , भारतीय मुद्रा के जाली नोटों का मुद्रण और/या संचलन में लाना भारतीय दंड संहिता की धारा 489-ए से 489 ई के तहत अपराध है, अतः आपसे अनुरोध है कि आप कृपया एफआईआर दर्ज कर आवश्यक जाँच करें और अपराधी से जवाब - तलब करें । यदि न्यायालय में आपराधिक कार्रवाई करनी हो तो अपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार आप पहले इन नोटों को किसी भी नोट प्रेस , फोरेन्सिक साईन्स लेबोरेटरी आदि के पास जाँच के लिए भेज देने हेतु व्यवस्था कर लें । प्रस्तुत विशेषज्ञ के राय को आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 292 के तहत साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। जाँच और/या न्यायालय में कार्रवाई पूरी हो जाने पर जाँच की विस्तृत रिपोर्ट/न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपि सहित जाली नोट हमारे पास भिजवा दिए जायें ।

**जाली नोटों का विवरण**

		श्रृंखला	नोटों की संख्या	मूल्य
(क)	मूल्यवर्ग			
(ख)	प्रस्तुतकर्ता का नाम व पता			
(ग)	हमारी प्रविष्टि सं.			

भवदीय

प्रधिकृत हस्ताक्षरी

\* यदि प्रस्तुतकर्ता की की वास्तविकता संदेह से परे हो तो यह वाक्य हटा दीजिए।



**अनुबंध-III**  
( पैरेग्राफ सं.7)

**पता , जाली नोट के ब्योरे प्रस्तुत करने के लिए फार्म**

**सतर्कता कक्ष ( एफएनवीसी ) से आरबीआई**

( प्रत्येक वर्ष पर 1 जलाई को इ-मेल द्वारा प्रस्तुत किया जाय )

माह -----के दौरान शाखा में पकड़े गए जाली नोटों का विवरण

संदर्भ : आरबीआई द्वारा 1 जुलाई 2008 को जारी मास्टर परिपत्र

बैंक का नाम	एफएनवीसी का पता ( पिनकोड सहित)	प्रभारी अधिकारी का नाम और पता	कोड सहित टेलीफोन संख्या	कोड सहित फैक्स संख्या	एफएनवीसी का इ-मेल पता

उपरोक्त प्रस्तुत ब्योरे में किसी भी परिवर्तन को तत्काल सूचित करने के लिए हमने नोट कर लिया है ।

प्राधिकृत अधिकारी का नाम

पदनाम

नोट: [dcmfnvd@rbi.org.in](mailto:dcmfnvd@rbi.org.in) इस पते पर पूर्ण फार्मेट को एम एस एक्सेल में इ-मेल द्वारा प्रेषित किया जाये ।

**अनुबंध-IV**  
( पैरेग्राफ सं.9)

**बैंक शाखा का नाम और पता**

\_\_\_\_\_ माह के दौरान शाखा में पता लगाये गये जाली नोटों के ब्यौरे

**(क) मूल्यवर्ग के अनुसार ब्यौरे**

मूल्यवर्ग						कुल नग	कुल मूल्य (रु)	राज्य/संघ शासित राज्य का नाम जहाँ शाखा स्थित है ।
रु.10	रु.20	रु.50	रु.100	रु.500	रु.1000			

**(ख) पुलिस में दर्ज किये गये मामलों के ब्यौरे**

	माह के प्रारंभ में पुलिस के पास लम्बित मामलों की संख्या. (क)	माह के दौरान पुलिस को भेजे गए मामलों की संख्या. (ख)	माह के दौरान पुलिस ने कितने मामले लौटाए. (ग)	माह के अंत में पुलिस के पास लम्बित मामलों की संख्या. (घ)
कुल मामले				
कुल नग				

नोट: दर्ज किये गये प्रत्येक एआईआर में एक मामला शामिल है । एआईआर के अंतर्गत शामिल नोटों को उपरोक्त प्रत्येक कॉलम में दर्शाया जाये ।

**अग्रेषित**

- 1) महाप्रबंधक /उपमहाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग -----
- 2) सहायक निदेशक, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, ईस्ट ब्लॉक-VII, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066.

(हस्ताक्षर)

प्राधिकृत अधिकारी का नाम व पदनाम

**अनुबंध-V**  
( पैरेग्राफ सं.9)

इ -मेल से

बैंकों द्वारा पता लगाये गये जाली नोट  
(अखिल भारतीय स्तर पर समेकित डाटा

\_\_\_\_\_ माह के लिए सूचना

बैंक का नाम \_\_\_\_\_

जाली नोट सतर्कता कक्ष का पता \_\_\_\_\_

इ - मेल पता \_\_\_\_\_

भाग -1; बैंक द्वारा राज्य/संघ शासित प्रदेश वार पकड़े गये जाली नोटों का संक्षिप्त ब्यौरा ।

राज्य/संघ शासित प्रदेश*	मूल्यवर्गवार नोटों की संख्या						कुल नोट
	रु.10	रु.20	रु.50	रु.100	रु.500	रु.1000	
1)							
2)							
3)							
कुल जोड़							

\* राज्य / संघ शासित प्रदेश का नाम दर्शाएं

भाग -2 : पुलिस में दर्ज किये गये मामलों के ब्यौरे

	माह के प्रारंभ में पुलिस के पास लम्बित मामलों की संख्या. (क)	माह के दौरान पुलिस को भेजे गए मामलों की संख्या. (ख)	माह के दौरान पुलिस ने कितने मामले लौटाए. (ग)	माह के अंत में पुलिस के पास लम्बित मामलों की संख्या. (घ)
कुल मामले				
कुल नग				

नोट: दर्ज किये गये प्रत्येक एफआईआर में एक मामला शामिल है । एआईआर के अंतर्गत शामिल नोटों को उपरोक्त प्रत्येक कॉलम में दर्शाया जाये ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि (i) भाग 1 में दर्शाये गये सभी नोटों के बारे में एफआईआर दर्ज किया गया है और (ii) भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित निर्गम कार्यालय को संबद्ध डाटा सूचित किया गया है ।

जाली नोट सतर्कता कक्ष के प्रमुख का नाम \_\_\_\_\_

पदनाम \_\_\_\_\_

तारीख \_\_\_\_\_

मुद्रा प्रबंध विभाग , (जाली नोट सतर्कता प्रभाग ) भारतीय रिजर्व बैंक , मुंबई को उनके 15 फरवरी 2008 के पत्र डीसीएम (एफएनवीडी) सं.5996/16.12.01/2007-08 के संदर्भ में प्रेषित । नोट : रिपोर्ट एमएस एक्सेल में तैयार किया जाये और इ -मेल से dcmfnvd@rbi.org.in को प्रेषित किया जाये ।

**भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1967 और  
उसके बाद जारी किए गए नोटों के विशिष्ट लक्षण**

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	ग्रभाग	पृष्ठभाग
<b>I. 10 रुपये के नोट</b>				
1967	137 x 63 मिमी.	अशोक स्तम्भ	हल्का जामुनी रंग। केंद्र में 10 का अंक।	नोट का मूल्य 14 भारतीय भाषाओं में। वर्तुल में सागर का दृश्य तथा पालदार नौका।
1968	उक्त	उक्त	गहरा नीला रंग। वचन-खण्ड, गारण्टी- खण्ड और हस्ताक्षर को द्विभाषी रूप में मुद्रित किया गया।	ऊपर लिखी खासियत के अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक का नाम हिन्दी में भी मुद्रित किया गया।
1969	उक्त	उक्त	गहरा नीला रंग. 'RUPEES TEN' के स्थान पर 'TEN RUPEES'।	महात्मा गांधी का चित्र
1970	उक्त	अशोक स्तम्भ के साथ चक्र	भारतीय रिज़र्व बैंक ऊपर लिखा गया और RESERVE BANK OF INDIA को नीचे मुद्रित किया गया। हिन्दी और अंग्रेजी में लिखे वचन खण्ड, गवर्नर के हस्ताक्षरों का स्थान बदला गया। सत्यमेव जयते का मुद्रण किया गया। वाटर मार्क- विंडो और नम्बर पैनल को बड़ा किया गया।	मोहर द्विभाषी रूप में डाली गयी।
1975	उक्त	उक्त	गहरा भूरा, गहरा पीला, नीला रंग। '10' का अंक गहरे कथई रंग में। उभरा हुआ मुद्रण। भाषाओं का पैनल बाईं तरफ तथा अशोक स्तम्भ दाईं तरफ।	हल्का कथई, चमकीला नीला और हरा रंग। एक घेरे में पेड़ की शाखा पर बैठे दो मोर। हिरण, घोड़े, पक्षी और कमल।
1992	उक्त	उक्त	समूची रंग योजना हल्का गुलाबी, मेजेन्टा और पीलापन लिए हुए।	शालीमार बाग।

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
1996	उक्त	वाटरमार्क विंडों में महात्मा गाँधी का चित्र और बहु-आयामी रेखाएँ।	समूची रंग-योजना में बैंगनी भूरा, संतरी और गुलाबीपन। महात्मा गाँधी का चित्र। छिपा हुआ सुरक्षा धागा, जिसे रोशनी के सामने करके देखने पर दोनों तरफ से 'भारत RBI' शब्द पढ़े जा सकते हैं।	एक दूसरे में गुंथी हुई फुलकारी, जिसमें हाथी, गैंडा और बाघ के मुँह दिखाए गए हैं। नोट का मूल्य 15 भारतीय भाषाओं में दिया गया है।
2006	उक्त	इस भाग में महात्मा गाँधी का चित्र, बहु - आयामी रेखाएं और मूल्यवर्गीय 10 अंक दिखानेवाला इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क हैं, जिन्हें बैंकनोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अधिक अच्छी तरह से देखा जा सकता है।	विंडो में मशीन द्वारा पठनीय डिमेटलाइज्ड क्लियर टेक्स्ट चुंबकीय सुरक्षा धागा जिसपर 'भारत' (हिंदी में) और 'RBI' लिखा है अल्ट्रावायलेट रोशनी (जेनरिक) में नोट का पृष्ठभाग व मुखपृष्ठ पीले रंग का चमकीला दिखायी पड़ता है। चौड़ाई - 1.4 मि.मी.।  चमकीले रेशे दोहरे रंग के हैं।  वाटरमार्क विंडो के तुरंत बाद एक खड़ी पट्टी के बीचोबीच नोट के मुखपृष्ठ (खाली) और उसके पृष्ठ भाग (भरा हुआ) पर मुद्रित एक छोटी फूलदार डिजाइन एक दूसरे पर एकदम सटकर इस प्रकार बैठ जाती है कि नोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अंक एक ही दिखायी पड़ते हैं।	बैंक नोट की छपायी के दौरान ही उसके पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष डाल दिया गया है।
<b>II. 20 रुपये का नोट</b>				
1972	147x6 3 मिमी.	अशोक स्तम्भ	केसरिया रंग। अशोक स्तम्भ दाईं तरफ और भाषाओं का पैनल बाएँ तरफ।	समांतर पैनल के मध्य में बड़े अक्षरों में हिन्दी में बीस रुपये और दोनों कोनों में 20 का अंक। संसद भवन का चित्र।

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
				बाएं तरफ नोट का मूल्य भारतीय भाषाओं में।
1975	उक्त	छोटा अशोक स्तम्भ जिसके चारों ओर चक्र की शृंखला। कागज पर सरेस लगा हुआ।	लाल, नीला, बैंगनी और हल्का पीला रंग। हल्के पीले रंग की कमल जैसी आकृति के ऊपर गहरे बैंगनी रंग में 20 का अंक। भाषाओं का पैनेल बायें तरफ और अशोक स्तम्भ दाएं तरफ। नोट का मुद्रण कागज के एकदम किनारे तक किया गया है, लेकिन चारों कोनों को सफेद ही छोड़ दिया गया है। नाम, वाक्य-खंड और हस्ताक्षर द्विभाषी रूप में।	ड्राई ऑफसेट प्रिंटिंग। लाल, नीला और बैंगनी रंग। बीचों-बीच कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ का पहिया। पीलापन लिए हुए नीले रंग में वाटरमार्क विन्डो। इस विन्डो के चारों ओर जो सजावटी डिजाइन बना है वह नोट की दूसरी ओर बने डिजाइन पर एकदम सही बैठता है।
2001	उक्त	महात्मा गांधी का चित्र	सुरक्षा धागा पूरी तरह से गुंथा हुआ जिस पर 'भारत' और 'RBI' लिखा हुआ है। नोट का रंग मुख्यतया लाली लिए हुए संतरी। अशोक स्तम्भ के स्थान पर महात्मा गांधी का चित्र गहरे लाल रंग में है। अशोक स्तंभ को नोट के बाएँ ओर निचले कोने में छोटे आकार में मुद्रित किया गया है। संख्या 20, रिजर्व बैंक की मुहर, महात्मा गांधी का चित्र, रिजर्व बैंक का प्रतीक, गारंटी और वचन खण्ड, गवर्नर के हस्ताक्षर तथा अशोक स्तम्भ को उभरा हुआ मुद्रित किया गया है। RBI शब्द और अंक 20 को सूक्ष्म अक्षरों में महात्मा गांधी के चित्र के पीछे वैकल्पिक रूप से मुद्रित है। एक पहचान चिह्न के रूप में नोट के बाएँ ओर छोटी खड़ी आयताकृति उभरे हुए रूप में मुद्रित गई है, ताकि कमजोर नज़र वाले भी नोट का मूल्यवर्ग आसानी से पहचान सकें। संख्या पटल में अंकों को लाल रंग में मुद्रित किया गया है।	नोट की मूल संकल्पना में नारियल वृक्षावली से घिरा भारतीय समुद्रतट दिखाई देता है। बायीं ओर भाषाई पैनेल में नोट का मूल्य पन्द्रह भाषाओं में दिया गया है।
2006	उक्त	इस भाग में	विन्डो में मशीन द्वारा पठनीय	बैंक नोट की छपायी के

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
		महात्मा गाँधी का चित्र, बहु - आयामी रेखाएं और मूल्यवर्गीय 20 अंक दिखानेवाला इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क हैं, जिन्हें बैंकनोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अधिक अच्छी तरह से देखा जा सकता है।	डिमेटलाइज्ड क्लियर टेक्स्ट चुंबकीय सुरक्षा धागा जिसपर 'भारत' (हिंदी में) और 'RBI' लिखा है अल्ट्रावायलेट रोशनी (जेनरिक) में नोट का पृष्ठभाग व मुखपृष्ठ पीले रंग का चमकीला दिखायी पड़ता है। चौड़ाई - 1.4 मि.मी।  चमकीले रेशे दोहरे रंग के हैं।  वाटरमार्क विंडो के तुरंत बाद एक खड़ी पट्टी के बीचोबीच नोट के मुखपृष्ठ (खाली) और उसके पृष्ठ भाग (भरा हुआ) पर मुद्रित एक छोटी फूलदार डिजाइन एक दूसरे पर एकदम सटकर इस प्रकार बैठ जाती हैं कि नोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अंक एक ही दिखायी पड़ते हैं।	दौरान ही उसके पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष डाल दिया गया है।

### III. 50 रुपये का नोट

1975	147 x 73 मिमी	अशोक स्तम्भ जिसके चारों ओर चक्र हैं.	बैंगनी रंग जिसमें नीले, हरे और हल्के जामुनी रंग की आभा है। 50 का अंक गहरे भूरे रंग में। भाषा-पैनल बाईं ओर और दाईं ओर अशोक स्तम्भ। चारों कोनों को सफेद छोड़ते हुए, कागज के किनारे तक मुद्रण किया गया है।	बैंगनी, भूरा और पीला रंग। बीच में संसद भवन। वाटरमार्क विंडो हल्के बैंगनी रंग में, जिसके चारों ओर का सजावटी डिजाइन दूसरी ओर बने डिजाइन पर एकदम सही बैठता है।
1981	उक्त	उक्त	उभरा हुआ मुद्रण- गहरा नीला, पीला और लाल। अशोक स्तम्भ और भाषाएं गहरे बैंगनी रंग में तथा बाकी का नोट गहरे हरे और भूरे रंग में। अशोक स्तम्भ के नीचे सत्यमेव जयते।	ड्राई-ऑफसेट पीलापन लिए हुए भूरा तथा समूचा नोट गहरे जामुनी रंग में। संसद भवन पर झण्डा दिखाया गया है।

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
1997	उक्त	वाटरमार्क विन्डो में महात्मा गांधी का चित्र तथा बहु-आयामी रेखाएँ	पीला, नीला और बैंगनी रंग। अशोक स्तम्भ के स्थान पर नीले रंग में महात्मा गाँधी का चित्र। सुरक्षा धागा नोट के भीतर पूर्णतः छिपा हुआ जिस पर 'भारत RBI' शब्द लिखे हुए हैं। वाटरमार्क के बाँए तरफ छोटी ठोस काली वर्गाकार आकृति, जो कमजोर नजर वालों को नोट का मूल्यवर्ग पहचानने में मदद करती है।	भारतीय संसद का समग्र दृश्य जिसके ऊपर फुलकारी बनाई गई है और किनारे की तरफ बारीक नक्काशी की गई है। नोट का मूल्य 15 भारतीय भाषाओं में दिया गया है।
2005	उक्त	इस भाग में महात्मा गाँधी का चित्र, बहु-आयामी रेखाएं और मूल्यवर्गीय 50 अंक दिखानेवाला इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क हैं, जिन्हें बैंकनोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अधिक अच्छी तरह से देखा जा सकता है।	विन्डो में मशीन द्वारा पठनीय डिमेटलाइज्ड क्लियर टेक्स्ट चुंबकीय सुरक्षा धागा जिसपर 'भारत' (हिंदी में) और 'RBI' लिखा है अल्ट्रावायलेट रोशनी में नोट का पृष्ठभाग व मुखपृष्ठ पीले रंग का चमकीला दिखायी पड़ता है। चौड़ाई - 1.4 मि.मी.। हिंदी और अंग्रेजी में बैंक का नाम, रिजर्व बैंक की मुहर, गारंटी और वचन खण्ड, बाईं ओर अशोक स्तंभ, तथा बैंक नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर इंटैग्लिओ प्रिंटिंग में, अर्थात् मुद्रण में उभार और अधिक स्पष्ट दिखायी देता है। वाटरमार्क विन्डो के बाईं ओर इंटैग्लिओ की गहराई बढ़ाकर अर्थात् अधिक उभारदार एक वर्गाकार आकृति मुद्रित की गई है जो कमजोर नजर वालों को मूल्यवर्ग पहचानने में मदद करती है। चमकीले रेशे दोहरे रंग के हैं। वाटरमार्क विन्डो के तुरंत बाद एक खड़ी पट्टी के बीचोबीच नोट के मुखपृष्ठ (खाली) और उसके पृष्ठ भाग (भरा हुआ) पर मुद्रित एक छोटी फूलदार डिजाइन एक दूसरे पर एकदम सटकर इस प्रकार बैठ जाती है कि नोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अंक एक ही दिखायी पड़ते हैं।	बैंक नोट की छपायी के दौरान ही उसके पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष डाल दिया गया है।



वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
<b>IV. 100 रुपये का नोट</b>				
1967	157x 73 मिमी.	अशोक स्तम्भ	नीला रंग। बीच में बड़े आकार में 100 का अंक। दाईं ओर अशोक स्तम्भ की प्रतिमा।	बायीं ओर खड़े भाषाओं के पैनल में 14 भारतीय भाषाएँ। वृत्ताकार चौखट की पृष्ठभूमि में हीराकुंड बाँध का चित्र।
1969	उक्त	उक्त	नीला रंग और वचनखण्ड, गारण्टी-खण्ड और गवर्नर के हस्ताक्षर द्विभाषी रूप में।	वृत्ताकार चौखट की पृष्ठभूमि में सेवाग्राम आश्रम और उसमें बैठे महात्मा गाँधी का चित्र।
1975	उक्त	अशोक स्तम्भ के साथ में चक्र	उभरा हुआ मुद्रण। गहरा नीला साथ में नीले, भूरे, गुलाबी और गहरे हरे रंग की आभा। 100 का अंक गहरे नीले रंग में। वाटरमार्क विन्डो का रंग हल्का नीला। रिजर्व बैंक का नाम, वचनखण्ड, गारण्टी-खण्ड और गवर्नर के हस्ताक्षर द्विभाषी रूप में। भाषाओं का पैनल बाईं ओर तथा दाईं ओर अशोक स्तम्भ। चारों कोनों को सफेद छोड़ते हुए, कागज के किनारे तक मुद्रण किया गया है।	उभरा हुआ मुद्रण। अनाज की गहरी नीली और भूरी छाया, कृषि कार्य, चाय के बागान, जल विद्युत परियोजना। वाटरमार्क विन्डो के चारों ओर बनी सजावटी आकृति दूसरी ओर बने डिजाइन में पूरी तरह से समा जाती है।
1979	उक्त	उक्त	एक ओर उभरा हुआ मुद्रण। नीला, लाल और गहरा हरा रंग। लाली और पीलापन लिए हुए हरे रंग की छाया। अशोक स्तम्भ के नीचे सत्यमेव जयते।	ड्राइ-ऑफसेट। काला और मरून रंग। हरापन लिए हुए नीले और भूरेपन की छाया।
1996	उक्त	वाटरमार्क विन्डो में महात्मा गाँधी का चित्र और बहु-दिशीय रेखाएं	मुद्रण में उभारदार और ऑफसेट दोनों विधियों का प्रयोग किया गया है। समग्र रंग योजना में नीले, भूरे और हरे रंग की गहनता। महात्मा गाँधी का चित्र। विन्डो में सुरक्षा धागा सामने की ओर से थोड़ा छिपा और थोड़ा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से गुंथा हुआ है। इसपर "भारत" और "RBI" शब्द मुद्रित हैं। वाटरमार्क विन्डो के बाईं ओर काली ठोस त्रिकोणी आकृति उभरकर बनी हुई है जो कमजोर नजर वालों को नोट का	मुख्य रूप से कंचनजंगा पर्वत शिखर का समूचा दृश्य चित्रित किया है जिसके चारों ओर फुलकारी और जरदोशी के डिजाइन बने हैं। बायीं ओर भाषाओं के पैनल में 15 भाषाओं में नोट का मूल्य लिखा हुआ है।

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
			मूल्यवर्ग जानने में मदद करती है।	
2005	उक्त	इस भाग में महात्मा गाँधी का चित्र, बहु-दिशीय रेखाएं और मूल्यवर्गीय 100 अंक दिखानेवाला इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क हैं, जिन्हे बैंकनोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अधिक अच्छी तरह से देखा जा सकता है।	100 रुपये के नोट में, विंडो में मशीन द्वारा पठनीय डिमेटलाइज्ड क्लियर टेक्स्ट चुंबकीय सुरक्षा धागा जिसपर 'भारत' (हिंदी में) और 'RBI' लिखा है जो विशेष प्रकार से रंग बदलता है। अलग-अलग कोणों से देखने पर सुरक्षा धागा हरे से बदलकर नीला हो जाता है। अल्ट्रावायलेट रोशनी में नोट का पृष्ठभाग पीले रंग का चमकीला और मुखपृष्ठ पर अंकित पाठ चमकीला दिखायी पड़ता है। चौड़ाई - 2 मि.मी.। इंटेग्लिओ प्रिंटिंग अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में बैंक का नाम, रिजर्व बैंक की सील, गारंटी और वचन खण्ड, बाई ओर अशोक स्तंभ का प्रतिक तथा बैंक नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर के मुद्रण में उभार और अधिक स्पष्ट दिखायी देता है। वाटरमार्क विंडो के बाई ओर इंटेग्लिओ की गहराई बढ़ाकर अर्थात् अधिक उभारदार एक त्रिकोण आकृति मुद्रित की गई है जो कमजोर नजर वालों को मूल्यवर्ग पहचानने में मदद करती है। चमकीले रेशे दोहरे रंग के हैं। वाटरमार्क विंडो के तुरंत बाद एक खड़ी पट्टी के बीचोबीच नोट के मुखपृष्ठ (खाली) और उसके पृष्ठ भाग (भरा हुआ) पर मुद्रित एक छोटी फूलदार डिजाइन एक दूसरे पर एकदम सटकर इस प्रकार बैठ जाती हैं कि नोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अंक एक ही दिखायी पड़ते हैं।	बैंक नोट की छपायी के दौरान ही उसके पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष डाल दिया गया है।

### V. 500 रुपये के नोट

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
1987	167 x 73 मिमी.	अशोक स्तम्भ जिसके सभी ओर चक्र हैं।	ड्राइ-ऑफसेट और उभारदार मुद्रण। पृष्ठभूमि के रंगों में मोरपंखी नीला, चटकीला नीला और हरा। महात्मा गाँधी का चित्र, अशोक स्तम्भ, वचन खण्ड और भाषा पैनल उभरे हुए मुद्रित हैं। कमजोर नज़र वालों को नोट का मूल्यवर्ग जानने में सुविधा के लिए, वाटरमार्क के बायी ओर पाँच काली समानांतर सहायता रेखाएँ उभरी हुई मुद्रित हैं।	पृष्ठभूमि में निकलता हुआ सूरज। पृष्ठभूमि का रंग गहरा हरा, संतरी और आसमानी। महात्मा गाँधी लोगों के समूह का नेतृत्व करते हुए।
1997	167 x 73 मिमी.	वाटरमार्क विन्डो में महात्मा गाँधी का चित्र और बहु- दिशीय रेखाएँ	ड्राइ-ऑफसेट और उभारदार मुद्रण। पृष्ठभूमि के रंगों में ज्यादातर पीला, हरा बैंगनी और भूरा। महात्मा गाँधी का चित्र, रिजर्व बैंक का नाम, गारण्टी और वचन खण्ड, अशोक स्तम्भ इनसेट और गवर्नर के हस्ताक्षर उभरे हुए मुद्रित हैं। विन्डो में सुरक्षा धागा सामने की ओर से थोड़ा-थोड़ा दिखाई देता है लेकिन अंदर से पूरी तरह गुँथा हुआ है। इस धागे पर 'भारत' 'RBI' मुद्रित हैं। महात्मा गाँधी के चित्र के पीछे की हरी खड़ी पट्टी पर 500 की अप्रकट छवि है। कमजोर नज़र वालों को नोट का मूल्यवर्ग जानने में सुविधा के लिए, वाटरमार्क के बाँई तरफ एक छोटीसी ठोस गोलाकृति उभरी हुई मुद्रित हैं।	महात्मा गाँधी लोगों के समूह का नेतृत्व करते हुए भूरे रंग में, ऊपर की तरफ फुलकारी तथा चारो और जरदोजी का डिजाइन। बायीं ओर 15 भाषाओं का खड़ा भाषा पैनल है। उक्त सभी विशेषताएँ उभरी हुई रूप में मुद्रित हैं।
2000	167 x 73 मिमी.	वाटरमार्क विन्डो में महात्मा गाँधी का चित्र और बहु- आयामी रेखाएँ	रंगों में मुख्य रूप से हल्का पीला, बैंगनी और भूरा, महात्मा गाँधी का चित्र हल्के भूरे रंग में। 500 का अंक रंग बदलने वाली स्याही (ऑप्टिकली वेरियेबल इंक - ओवीआइ)से मुद्रित किया गया जो हरे से नीले रंग में बदलता है। इनके अलावा, बाकी डिजाइन 1997 की तरह ही है।	इसका डिजाइन 1997 की श्रृंखला वाले नोट की डिजाइन की तरह ही है।
2005	उक्त	इस भाग में महात्मा गाँधी का चित्र, बहु- दिशीय	500 रुपये के नोट में, विन्डो में मशीन द्वारा पठनीय डिमेटलाइज्ड क्लियर टेक्स्ट चुंबकीय सुरक्षा धागा जिसपर 'भारत' (हिंदी में) और 'RBI' लिखा है जो विशेष प्रकार से	बैंक नोट की छपायी के दौरान ही उसके पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष डाल दिया गया है।

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
		रेखाएं और मूल्यवर्गीय 500 अंक दिखानेवाले इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क हैं, जिन्हें बैंकनोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अधिक अच्छी तरह से देखा जा सकता है।	रंग बदलता है। अलग-अलग कोणों से देखने पर सुरक्षा धागा हरे से बदलकर नीला हो जाता है। अल्ट्रावायलेट रोशनी में नोट का पृष्ठभाग पीले रंग का चमकीला और मुखपृष्ठ पर अंकित पाठ चमकीला दिखायी पड़ता है। चौड़ाई - 3 मि.मी.। इंटैग्लिओ प्रिंटिंग अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में बैंक का नाम, रिजर्व बैंक की सील, गारंटी और वचन खण्ड, बाईं ओर अशोक स्तंभ का प्रतिक तथा बैंक नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर के मुद्रण में उभार और अधिक स्पष्ट दिखायी देता है। वाटरमार्क विंडो के बाईं ओर इंटैग्लिओ की गहराई बढ़ाकर अर्थात् अधिक उभारदार एक गोलाकृति मुद्रित की गई है जो कमजोर नजर वालों को मूल्यवर्ग पहचानने में मदद करती है। चमकीले रेशे दोहरे रंग के हैं। वाटरमार्क विंडो के तुरंत बाद एक खड़ी पट्टी के बीचोबीच बैंकनोट के मुखपृष्ठ (खाली) और पृष्ठ भाग (भरा हुआ) पर मुद्रित एक छोटी फूलदार डिजाइन एक दूसरे पर एकदम सटकर इस प्रकार बैठ जाती हैं कि नोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अंक एक ही दिखायी पड़ते हैं।	

## **VII. 1000 रुपये**

2000	177 x 73 मिमी.	वाटरमार्क विंडो में महात्मा गाँधी का चित्र और बहु-आयामी रेखाएं	सामान्य रूप से रंग गुलाबी है (हल्का पीलापन लिए हुए गुलाबी और पृष्ठभूमि में सलेटी ऑफसेट)। महात्मा गाँधी का चित्र भूरे रंग का है। महात्मा गाँधी का चित्र, अंक 1000, एक हजार रुपये, रिजर्व बैंक की मोहर, रिजर्व बैंक का नाम, गारण्टी और वचन खण्ड, गवर्नर के हस्ताक्षर	समूची विचारधारा में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को तीन रंगों में उभारदार मुद्रण के माध्यम से प्रकट किया है। भाषाओं के पैनल में बायीं ओर नोट का मूल्य 15 भाषाओं में
------	----------------	--	--	---

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
			उभरे हुए मुद्रित हैं। बायी ओर का संख्या पैनल लाल रंग में और दाई ओर का संख्या पैनल नीले रंग में है। 1000 का अंक रंग बदलने वाली स्याही (ऑप्टिकली वेरियेबल इंक - ओवीआइ) से मुद्रित किया गया है जो हरे से नीले में बदलता है। ऑप्टिकल वेरियेबल (रंग बदलने वाली स्याही) विन्डोवाले सुरक्षा धागे में चुम्बकीय गुण हैं और उसपर "भारत" "1000" और RBI मुद्रित हैं। वाटरमार्क विन्डो के बायीं ओर छोटा काले रंग का ठोस एक उभरा हुआ हिरे का आकार मुद्रित है ताकि कमजोर नजर वालों को नोट का मूल्यवर्ग जानने में सुविधा हो।	लिखा हुआ है।
2005	उक्त	इस भाग में महात्मा गाँधी का चित्र, बहु - आयामी रेखाएं और मूल्यवर्गीय 1000 अंक दिखानेवाले इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क हैं, इन्हें बैंकनोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अधिक अच्छी तरह से देखा जा	1000 रुपये के नोट में, विन्डो में मशीन द्वारा पठनीय डिमेटलाइज्ड क्लियर टेक्स्ट चुंबकीय सुरक्षा धागा है जिसपर 'भारत' (हिंदी में) और 'RBI' लिखा है जो विशेष प्रकार से रंग बदलता है। अलग-अलग कोणों से देखने पर सुरक्षा धागा हरे से बदलकर नीला हो जाता है। अल्ट्रावायलेट रोशनी चौड़ाई - 3 मि.मी. में नोट का पृष्ठभाग पीले रंग का चमकीला और मुखपृष्ठ पर अंकित पाठ चमकीला दिखायी पड़ता है। इंटैग्लिओ प्रिंटिंग अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में बैंक का नाम, रिजर्व बैंक की सील, गारंटी और वचन खण्ड, बाईं ओर अशोक स्तंभ का प्रतिक तथा बैंक नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर के मुद्रण में उभार और अधिक स्पष्ट दिखायी देता है। वाटरमार्क विन्डो के बाईं ओर इंटैग्लिओ की गहराई बढ़ाकर अर्थात् उसे अधिक उभारदार एक हिरे का आकार मुद्रित किया गया है जो कमजोर नजर वालों को मूल्यवर्ग	बैंक नोट की छपायी के दौरान ही उसके पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष डाल दिया गया है।

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
		सकता हैं।	पहचानने में मदद करता है । चमकीले रेशे दोहरे रंग के हैं । वाटरमार्क विंडो के तुरंत बाद एक खड़ी पट्टी के बीचोबीच बैंकनोट के मुखपृष्ठ (खाली) और पृष्ठ भाग (भरा हुआ) पर मुद्रित एक छोटी फूलदार डिजाइन एक दूसरे पर एकदम सटकर इस प्रकार बैठ जाती हैं कि नोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अंक एक ही दिखायी पड़ते हैं ।	

**जाली भारतीय करेंसी नोटों( एफआइसीएन) को  
मानीटर करनेवाले नोडल अधिकारियों की सूची**

क्रम संख्या	राज्य	नोडल अधिकारियों के नाम और पते	टेली.फैक्स संख्या
1	असम	श्री डी.के. बोरा, आइपीएस, पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अन्वेषण विभाग, असम, गुवाहाटी	
2	आंध्र प्रदेश	श्री संदीप शांडिल्य, आइपीएस, उप महानिरीक्षक, अपराध अन्वेषण विभाग, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद	
3	अंदमान व निकोबार	श्री वी.पी.पांडे, उप पुलिस-अधीक्षक, अपराध अन्वेषण विभाग, अबेरदीन बजार, पोर्ट ब्लेअर, साऊथ अंदमान डिस्ट्रीक्ट, ए एण्ड एन आइलैण्ड - 0744101	03192-233307(O) 03192- 200746(डब्ल्युएलएल) 03192-233307(फैक्स)
4	अरुणाचल प्रदेश	श्री एन पायेंग, आइपीएस, उप महा निरीक्षक /पुलिस हेड क्वार्टर, ईटानगर	0360-2212734
5.	बिहार	श्री बी.एस.जयंत, महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध विंग, अपराध अन्वेषण विभाग, बिहार, पटना	0612-2217829
6.	चंडीगढ़	श्री. प्रबोध कुमार, पुलिस महानिरीक्षक, /अपराध, आर्थिक अपराध विंग	2740179(O)
7.	छत्तीसगढ़	श्री राज कुमार देवांगरन, आइपीएस, अपर महानिदेशक पुलिस, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो	0771-4240045
8.	दमण व दीव		
9.	दादरा नगर हवेली, सिल्वासा	श्री वी.आर.जेठवा, पुलिस मुखिया, सिल्वासा	0262-2642002
10.	दिल्ली		

11.	गोवा	श्री चंद्रकांत एस. सालगांवकर, उप अधीक्षक पुलिस, अपराध शाखा, दोनापावला, गोवा	2456688 09422387199
<b>क्रम संख्या</b>	<b>राज्य</b>	<b>नोडल अधिकारियों के नाम और पते</b>	<b>टेली.फैक्स संख्या</b>
12.	गुजरात	श्री अनिल प्रथम, आइपीएस, उप महा निरीक्षक (अपराध - 3), अपर महानिदेशक पुलिस का कार्यालय, अपराध अन्वेषण विभाग (अपराध और रेलवे), गुजरात राज्य, पुलिस भवन, 5वीं मंजिल, सेक्टर -18, गांधी नगर, गुजरात	079-23254385, 23254387(O) 079-23257545(F) <a href="mailto:cor.crime@gujarat.gov.in">cor.crime@gujarat.gov.in</a>
13.	हिमाचल प्रदेश	श्री ओ.सी. ठाकुर, आइपीएस, पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अन्वेषण विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला	0177-2622205 0177-2623224(फैक्स)
14.	हरियाणा	श्री एस.एस. देसवाल, आइपीएस, पुलिस महानिरीक्षक, अपराध पुलिस मुख्यालय, सेक्टर - 6, पंचकुला, हरियाणा	0172-2565595(O)
15.	जम्मू और कश्मीर	श्री दिलबाग सिंह, पुलिस महानिरीक्षक, अपराध और रेलवे, जम्मू और कश्मीर, जम्मू, श्रीनगर	0191-2572475(O) 0191-2574210(O) 0194-2473803
16.	झारखंड	श्री आर.सी.कैथाल, अपर महानिदेशक पुलिस, अपराध अन्वेषण विभाग, झारखंड, रांची	0651 -2490546(O) 0651 -2490546(फैक्स) 09431114106(मोबाईल)
17	कर्नाटक	श्री एम.आर.पुजर, आइपीएस, पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध/अपराध अन्वेषण विभाग, मुख्यालय, कार्लटोन हाउस, पेलेस रोड, बंगलूर - 560 001	080-22254871, 22942241
18.	केरला	श्री वर्गीस, उप अधीक्षक पुलिस, सीएफएस	2443446(O)
19.	लक्ष्यदीप	श्री गिरीशचंद्र द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक	04896-262258 262624(फैक्स)



20	मध्य प्रदेश	श्री आर.पी.सिंह, उप महा निरीक्षक, पुलिस हेड क्वार्टर, आर्थिक अपराध विंग, जहांगिराबाद, मध्य प्रदेश	0755-2443569
21	महाराष्ट्र	श्री के.पी.रघुवंशी, आईपीएस, अपर महानिदेशक पुलिस, एमएस, रेलवे, संयुक्त पुलिस आयुक्त, एटीएस, एमएस, मुंबई	022- 24792955 (का) 022-25432958(आ)
22	मणिपुर	श्री.एन.मुखर्जी, आईपीएस, पुलिस महा निरीक्षक (आसूचना), मणिपुर, इम्फाल	टेली. 0385- 2450575 फैक्स सं. 0385-2450575 ई-मेल - <a href="mailto:igp.int@hub.nic.in">igp.int@hub.nic.in</a> <a href="mailto:igpint@hotmail.com">igpint@hotmail.com</a>
23	मेघालय	श्री एस. किंगिंग, अपर महानिदेशक(प्रशा.)शिलाँग	2226790(का.) 2220839(फैक्स)
24	मिझोराम	श्री के. अमोना, पुलिस अधीक्षक, अपराध अन्वेषण विभाग(अपराध), एजवाल	2334082 2334082(फैक्स)
25	नागालैण्ड	श्री एल.एल.दोंगेल, उप महानिरीक्षक, आधुनिकीकरण	2241369(का.) 2244274(फैक्स)
26	ओरिसा	श्री बी.के.शर्मा, आईपीएस, पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अन्वेषण विभाग, अपराध शाखा, ओरिसा, कटक	0671 - 2304834
27	पांडेचरी	श्री आर. मुगम, पुलिस अधीक्षक, अपराध अन्वेषण विभाग, मुख्यालय	0413 - 2338684(का) 9443209104
28	पंजाब	श्री गुरदियाल सिंग, पीपीएस, पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध विंग, पंजाब	
29	राजस्थान	श्री ए. पोन्नुचामी, आईपीएस, उप महानिरीक्षक(आर्थिक अपराध विंग), अपराध अन्वेषण विभाग(अपराध शाखा), राजस्थान, जयपुर	0141- 2751952 0141- 2753326(फैक्स)
30	सिक्कीम	श्री डी.बी.थापा, पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा, पुलिस मुख्यालय, गंगटोक, सिक्कीम	03592 - 204297(फैक्स) 03592 - 202087 (का)

<b>31</b>	तमिलनाडु	पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा, अपराध अन्वेषण विभाग(मुख्यालय), चेन्नै	
<b>32</b>	त्रिपुरा	श्री राकेश रंजन, पुलिस महानिरीक्षक, आसूचना	2323207(का) 2324970(फैक्स)
<b>33</b>	उत्तर प्रदेश	श्री देवी प्रसाद श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध विंग, 5वीं मंज़िल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001	0522- 2287090 2287256
<b>34</b>	उत्तरांचल	श्री जीवन चंद्र पांडे, उप महानिरीक्षक, अपराध अन्वेषण विभाग	0135 - 2712685(का) 0135 - 2712080(फैक्स)
<b>35</b>	पश्चिम बंगाल	श्री भुपिंदर सिंह, अपर महानिदेशक, पुलिस/अपराध अन्वेषण विभाग, कोलकाता	033- 24791330(का)